लॉरेंस गैंग का गुर्गा गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (कासं)। जिले की मुकलावा थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है।

पुलिस थाना मुकलावा ने अजमेर की उच्च सुरक्षा कारागृह घूघरा से हार्डकोर अपराधी ऋतिक ठाकुरवानी उर्फ बॉक्सर को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। हार्डकोर अपराधी ऋतिक बॉक्सर को लॉरेंस गैंग के गुर्गे के रूप में जाना जाता है। पुलिस फिलहाल बॉक्सर से कड़ी पूछताछ में लगी हुई है।

मुकलावा थानाधिकारी ने बताया कि इससे पहले 1 मार्च को रायसिंहनगर पुलिस ने एक दंपती आशीष राठी और सिमरन राठी को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 128 ग्राम हेरोइन, 75 ग्राम अफीम, 3 कारतूस और 10.83 लाख रुपए बरामद किए थे। जांच में सामने आया कि ऋतिक ठाकुरवानी ने रमेश कुमार उर्फ धोलू के माध्यम से इस दंपती को हेरोइन की सप्लाई की थी।

मुकलावा पुलिस ने इस मामले में रमेश कुमार उर्फ धोलू को भी गिरफ्तार किया है। वह हनुमानगढ़ जिले के मटोरियां वाली ढाणी का रहने वाला है। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। आरोपी ऋतिक ठाकुरवानी जयपुर के मालवीय नगर का रहने वाला है।

25 से नहरबंदी संभव, 20 मार्च तक 3000 क्यूसेक पानी मिलेगा

- **नहरबंदी 25 मार्च से होगी। इसलिए तमाम पीएचईडी अभियंता उसी तिथि को आधार बनाकर जलाशयों को भरने में लगे हैं**

बीकानेर,(कासं)। इंदिरा गांधी नहर की नहरबंदी को लेकर राजस्थान के अभियंता भले मौन साधे हों दो दिन पहले चंडीगढ़ में हुई बीबीएमबी की बैठक में 25 मार्च से नहरबंदी लेने का इनपुट दिया है। इसलिए 20 मार्च तक आईजीएनपी को 3000 क्यूसेक पानी मिलता रहेगा। 20 को फिर मीटिंग होगी, जिसमें आगे का कोटा तय होगा।

दरअसल हर साल मार्च के दूसरे से तीसरे सप्ताह में नहरबंदी होती आई है। वो इसलिए क्योंकि जितनी देर मार्च में होगी उतनी ही परेशानी मई में होने वाली पूर्ण नहरबंदी में होगी। उस वक्त भीषण गर्मी के कारण पानी की बूंद-बूंद के लिए लोग परेशान होते हैं, लेकिन राजस्थान के अभियंता अपनी बात ही पंजाब के सामने मजबूती से नहीं रख पाए। वे बीबीएमबी से राजस्थान को मिले 5500 क्यूसेक पानी में संतुष्ट हो गए।

इसी वजह से पंजाब खुली मनमानी कर रही है। अब 25 मार्च से आंशिक नहरबंदी होगी। जिस वक्त आंशिक नहरबंदी शुरू होगी उस वक्त से ही राजस्थान में गर्मी पैर पसार चुकी है। 25 अप्रैल से पूर्ण नहरबंदी होगी। तब तक पंखे-कूलर चलने शुरू हो जायेंगे। कूलर चलते ही पानी की खपत तीन गुनी हो जाएगी। हर घर में एक से तीन कूलर होते हैं। कूलर एक आदमी के पूरे दिन के खर्चे का पानी पीता है। ऐसे में पानी की खपत बढ़ते ही इंदिरा गांधी नहर से जलाशयों को पानी मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि रबी में खाद की कमी, मूंगफली की खरीद में बारदाना ना मिलने और सिंचाई पानी ना मिलने से किसान पहले से ही खफा हैं। मई में अगर पेयजल संकट के दौरान गुस्सा अगर फूटा तो प्रशासन के लिए कानून-व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जायेगा।

पंजाब से हनुमानगढ़ जल संसाधन विभाग बातचीत करता है। वहां के अभियंताओं की पहली प्राथमिकता पीने के लिए पानी लाना है। इसीलिए नहरबंदी की टाइमिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। नहरबंदी से पहले बीकानेर के दोनों जलाशय पांच-पांच मीटर तक भरे हुए हैं। बीछवाल जलाशय में नीचे से एक से डेढ़ मीटर सिल्ट है। यानी उसमें पानी करीब 3.50 से 4 मीटर ही पीने योग्य है। पौने छह मीटर तक ये जलाशय भरा जाता है। यानी इस जलाशय को एक से सवा मीटर और भरा जाना है। शोभासर जलाशय एक मीटर खाली है। ये करीब साढ़े पांच मीटर तक भरा जाता है और पौने पांच से पांच मीटर के बीच भरा हुआ है। दोनों जलाशयों को मिलाकर करीब 18 दिन का ही पानी है।

अब अगर नहर से पूर्ण नहरबंदी के बीच पानी नहीं मिला तो कटौती करनी होगी। हालांकि इससे पहले शोभासर के लिए गजनेर लिफ्ट और बीछवाल के लिए कंवरसेन लिफ्ट में पानी भरा जाता रहा है। पूर्ण नहरबंदी होते ही जैसे ही जलाशय खाली होता तो नहर से जलाशय में पानी दिया जाता रहा। इस साल भी ऐसी कोशिश है।

आंशिक नहरबंदी में सिर्फ उतना ही पानी शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाता है जितनी रोज की खपत है। क्योंकि आंशिक नहरबंदी शुरू होने से पहले ही सारे जलाशयों को लबालब किया जाता है। अभी 3000 क्यूसेक पानी मिल रहा है।

इस पानी से सारे जलाशयों को भरा जा सकता है मगर जल संसाधन विभाग ने अब तक अधिकृत रूप से कोई ऐसा कागज नहीं चलाया, जिससे पीएचईडी अभियंता जलाशयों को भर सकें। हालांकि मौखिक सूचना लगभग सबको हो गई कि नहरबंदी 25 मार्च से होगी। इसलिए तमाम पीएचईडी अभियंता उसी तिथि को आधार बनाकर जलाशयों को भरने में लगे हैं।

राजेश राजपुरोहित, अतिरिक्त मुख्य अभियंता पीएचईडी का कहना है कि अभी पांच-पांच मीटर के आसपास जलाशय भरा है। जो खाली है वो कोशिश है कि पूरा लबालब कर लिया जाए। अभी तक अधिकृत रूप से नहरबंदी की सूचना नहीं है मगर पीएचईडी नहरबंदी के हालात के हिसाब से तैयारी कर रहा है।

श्याम बाबा को खीर-चूरमे का भोग लगाया

श्रीगंगानगर, (कासं)। सुदामा नगर स्थित सिद्ध धाम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर के सतरंगी फाल्गुन मेले के तहत श्याम श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इसके साथ ही मंदिर के 6 दिवसीय मेले का रात्रि जागरण के साथ समापन हो गया। मंदिर में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। ये सिलसिला दिनभर जारी रहा। प्रथम आरती के समय से ही हजारों श्याम श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के समक्ष माथा टेककर सुख-समृद्धि की मन्नतें मांगीं। इस दौरान 6 क्विंटल खीर-चूरमे की सवामणियों का महाभोग लगाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटा गया। सेवादार संदीप शेरेवाला ने बताया कि 6 दिनों में श्रद्धालुओं ने 12 हजारद्द रंग बिरंगी ध्वजाएं बाबा श्याम को अर्पित की। इस कड़ी में दिर में श्री श्याम अखाड़ा का आयोजन किया गया। इसमें मुंबई के नितीश भारद्वाज व अन्य भजन प्रवाहकों ने भजनों के जरिए बाबा श्याम को रिझाया। रात्रि जागरण श्री श्याम पैदल यात्रा प्रबंधन समिति के राजेश कापड़िया, मोहनलाल गर्ग, पवन गुप्ता, साहिल कापड़िया आदि ने भजनों के जरिए बाबा श्याम की महिमा का गुणगान किया। डीजे की थाप पर रंग गुलाल खेलते हुए नाचते-गाते ध्वजाएं लेकर मंदिर प्रांगण पहुंचे।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- LU2012/SGN/2024-25/101274 **लोक सूचना** दिनांक : 12.3.2025

श्रीमती ममता अरोड़ा पत्नी श्री किरण कुमार अरोड़ा निवासी आरएसएच-24 रिद्धि सिद्धि प्रथम, 2 एमएल, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्रीमती ममता अरोड़ा पत्नी श्री किरण कुमार अरोड़ा	चक 4 जैड मुरब्बा नं. 40 के किला नं. 17/1 में 0.1520 है. किला नं. 17/2 में 0.0760 है. किला नं. 23/4 में 0.0050 है. किला नं. 23/6 में 0.0720 है. किला नं. 24 में 0.0760 है. यथाकुल 0.381 हैक्टे.	कुल 0.381 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12.3.2025 को जारी की गयी।

- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

रावतभाटा राजस्थान साइट Rawatbhata Rajasthan Site

In the High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur

S.B/D.B. Civil writ petition/appeal/amendment application No.../2025

Application under Rule 159 of Rajasthan High Court Rules for entering in to CAVEAT

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS:

Your Lordship's humble applicant wants to enter into caveat under Rule 159 of the Rajasthan High Court Rules and leta nothing be done till the applicants are heard in the matter.

The particulars of the writ which is likely to be filed are given below-

1. The S.B./D.B. Civil writ pertition/appeal/amendment application may be filed by the following persons: Any person who is concerned about appointment on any posts as per advertisement No. RR Site/HRM/04/2024.
2. That the S.B./D.B. Civil writ pertition/appeal/amendment application is likely to be filed against:-
   01. Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL), Mumbai.
   02. Chairman & Managing Director (CMD), (NPCIL), Mumbai.
   03. Director (HR), NPCIL, Mumbai.
   04. Site Director, NPCIL, Rawatbhata Rajasthan Site.
   05. Head (HR), NPCIL, Rawatbhata Rajasthan Site.
   06. Senior Manager (HR), NPCIL, Rawatbhata Rajasthan Site.
3. That the S.B./D.B. Civil writ petition/appeal/amendment application can be filed in regard of advertisement number RR Site/HRM/04/2024 issued by Nuclear Power Corporation of India Limited, Rawatbhata Rajasthan Site, PO Anushakti Via Kota for various posts.
4. That Vakalatnama duly signed by Senior Manager (HRM) on behalf of Nuclear Power Corporation of India Ltd., Rawatbhata Rajasthan Site, PO Anushakti Via Kota is submitted herewith.

It is, Therefore, humbly prayed that nothing be done in the cases till the applicants are heard.

Date: 13.03.2025 **COUNSEL FOR CAVETOR**
Jodhpur **(MUKUL SINGHVI), Advocate**
R-513/1994
Jodhpur

CBC 48157/12/0004/2425

चंग की थाप पर झूमे युवा

नोखा, (कासं)। यहां संतोषी चौक पर फाग मस्ताना ग्रुप द्वारा आयोजित होली चंग धमाल कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत श्याम बाबा की ग्यारस के अवसर पर विशेष धमाल से हुई। मुख्य अतिथि उद्यमी और समाजसेवी ओमप्रकाश गट्टाणी को दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। गट्टाणी ने कहा कि होली का त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाता है। होली के रसिये ओम भाई जवेरी, पार्षद देवकिशन चाण्डक और सत्यनारायण राठी को भी दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान दिया गया। स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। सत्यनारायण राठी ने 'भरजोबन में नाव डूबेगी' गीत गाया। कमल राठी ने 'आजा मेरे दिलदार' और घनश्याम बिश्नोई ने 'कीर्तिया री कांई बात' गीत प्रस्तुत किए। पवन लाहोटी, संजय लाहोटी, मोहित सोनी समेत अन्य कलाकारों ने चंग की थाप पर धमाल मचाई। व्यवस्थाओं में राधेश्याम राठी, नवल सोनी, बजरंग सोनी समेत कई लोगों का सहयोग रहा। 'बाबा श्याम के दरबार मची रे होली' और 'होली खेलेंगा आपा गिरधर गोपाल से' जैसे भजनों पर सभी ने जमकर नृत्य किया।

आज होलिका दहन

नोखा, (कासं)। फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि पर 13 मार्च को होलिका दहन होगा। नोखा के पंडित ने बताया कि होलिका दहन का मुहूर्त रात को 11 बजकर 28 मिनट से 12 बजकर 8 मिनट तक तक रहेगा। 14 तारीख को लोग रंगोत्सव मनायेंगे। शहर में विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन होगा। जिसके लिए सवेरे से ही महिलाएं होलिका की पूजन कर सुख समृद्धि की कामना करेंगी।

शहर के कटला चौक में होलिका समिति की ओर से 13 मार्च को रात को 11 बजकर 28 मिनट से 12 बजकर 8 मिनट पर होलिका दहन होगा। इसी दौरान शहर के पिम्पली चौक, हरिरामजी मन्दिर, संतोषी चोक, मोहनपुरा, लखोटिया बास, तिरुपति नगर सहित अलग अलग स्थानों पर होलिका दहन होगी। शहर में रंगोत्सव 14 मार्च को खेला जायेगा। इसके लिए युवाओं से लेकर हर वर्ग में जोरदार उत्साह है। शहर में होली टोली ग्रुप, सांवरिया ग्रुप, फाग मस्ताना ग्रुप व जेएनटी क्लब की ओर से रंगोत्सव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

अम्बेडकर सर्किल स्थित बेकरी पर कार्रवाई

- **उत्पादन इकाई में मिली अवधि पार तथा चूहों द्वारा कुतरी खाद्य सामग्री, 3 नमूने लिए**
- **उत्पादन बंद करने के निर्देश दिए**

बीकानेर, (कासं)। होली पर आमजन को शुद्ध व हाइजीनिक खाद्य उपलब्ध हो सके, इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर वार कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में लगातार कार्यवाहियों का दौर जारी है।

होली से एक दिन पहले बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पुखराज साधउ के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा अम्बेडकर सर्किल स्थित वर्षा ऋतु बेकरी तथा द्वितीय तल पर चल रही उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया गया। अवधि पार सामग्री तथा अनहाइजीनिक व्यवस्था के चलते तत्काल उत्पादन रोकने के आदेश सीएमएचओ द्वारा जारी किए गए।

डॉ साध ने बताया कि उत्पादन इकाई पर अवधि पार तथा चूहों द्वारा कुतरे हुए बेकिंग पाउडर पैकेट, नारियल चूरा, कोको पाउडर, चोकोज, आटा, खाद्य रंग, एसेंस तथा अन्य सामग्री पाई गई जिन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया। कई सामग्रियों पर एक्सपायरी डेट अंकित नहीं पाई गई। बिना ढक्कन के डस्टबिन पर मक्खियां भिन भिना रही थी। मसालों तक पर ढक्कन नहीं लगे थे। फ्रूट स्क्वॉश की बोतले बिखरे फ्रूट स्क्वैश से सड़ी हुई थी। डॉ साध ने बताया कि जन स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित मानते हुए सप्पू बाबा इंडस्ट्रीज नाम से पंजीकृत वर्षा ऋतु की इस उत्पादन इकाई को तत्काल उत्पादन बंद करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 10 दिन में इंप्रूवमेंट करने का इंप्रूवमेंट लेटर भी जारी किया गया है।

पब्लिक पार्क के दोनों एंट्री गेट खोदे

बीकानेर, (कासं)। अमृत-2 योजना में जिस बेतरतीब तरीके से काम हो रहा उससे अहसास नहीं हो रहा कि फर्म में इंजीनियर भी काम कर रहे या नहीं।

अगर कर भी रहे तो उनकी इंजीनियरिंग शहर के मिजाज, रास्ते और हालात को समझे बिना ही की जा रही है। जूनागढ़ से पब्लिक पार्क में एंट्री के लिए तीन गेट और फोर्ट डिस्पेंसरी ही रास्ता है मगर फर्म ने बिना ट्रैफिक लोड समझे दोनों ही गेटों पर खोदकर ट्रैफिक को रेंगने पर मजबूर कर दिया।

इस वक्त पब्लिक पार्क में घुसने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। इसी वजह से लोग धोबीधोरा की गलियों से होकर निकल रहे हैं। इस फर्म ने प्रशासन से लेकर निगम प्रशासन भी खफा है। फर्म के कामगारों ने सड़क के किनारे मिट्टी डाल रखी है, जबकि ये गलत है। मिट्टी को अन्यत्र डालना है मगर पहले रानीबाजार पुलिया के पास इकट्ठी की और अब फोर्ट डिस्पेंसरी के सामने सड़क पर मिट्टी का ढेर लगा दिया गया।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- नियमन/ 2025/3615 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 28/02/2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में चक 4 एमएल मुरब्बा नं. 1 के किला नं. 21 में माप 30 इन्टू 54.3 फीट का पट्टा संख्या 5407 दिनांक 21.01.2008 को श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरप्रीत सिंह के नाम से जारी किया हुआ है। उक्त भूखण्ड को पूजा लीला पुत्री श्री दुर्गा प्रसाद लीला निवासी 46 ए, हीरा नगर ए, होली हाउस के पास चित्रकूट, 60 फीट रोड, जयपुर के द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 28.01.2024 के द्वारा क्रय कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पट्टे एवं पंजीकृत बैयनामों का समर्पण कर भूखण्ड की लीज हस्तान्तरित करवाते हुए फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, बीकानेर, क्रमांक-LU2012/BIK/2024-25/100526दिनांक-10.2.2025 लोक सूचना श्री PIRA RAM पुत्र श्री BUDHRAM जाति NAYAK निवासी WARD NO.9 JALALSAR JAMSAR BIKANER ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि केअपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुतकिया है,अर्थात:- क्र.सं.1, ग्राम तहसील व जिले का नाम नैणों का बास, बीकानेर(बीकानेर) खातेदार का नाम SHYAM LAL AND PIRA RAM खसरा सं. 96/87/40/5, क्षेत्रफल (वर्गमीटर) 34433.82,क्षेत्रफल(हैक्टेयर) 3.4434 , कुल 3.4434 इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर-भीतर अपनी एस.एस.ओ आई.डी. से लॉग इनकर 90-A for Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकतेहैउपर्युक्त नियम समय के भीतर -भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगाकि किसी को आक्षेप नहीं हैऔर तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 10.02.2025 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, बीकानेर

प्राधिकृत अधिकारी बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर क्रमांक:- LU2012/BIK/2024-25/100525दिनांक-10.3.202लोक सूचना, श्री M/S RAGHUKUL GREENS LLP TH PARTNER KRISHAN CHANDRA MODI पुत्र श्री MANGI LAL MODI जाति MODI निवासी 4-D-39 JAI NARAYAN VYAS COLONY BIKANER ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि केअपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन केलिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात, क्र.सं. 1. ,ग्राम तहसील व जिले का नाम ,नैनों का बास, बीकानेर(बीकानेर) खातेदार का नाम M/S RAGHUKUL GREENS LLP खसरा स.. 174/151/40, क्षेत्रफल(वर्गमीटर), 29824.04 ,क्षेत्रफल(हैक्ट.) 2.9824, कुल 2.9824 इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर-भीतर अपनी एस.एस.ओ आई.डी. से लॉग इनकर 90-A for Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकतेहैउपर्युक्त नियम समय के भीतर -भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगाकि किसी को आक्षेप नहीं हैऔर तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 10.02.2025 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी बीकानेर विकास प्राधिकरण बीकानेर

पिचकारियों के दाम 15 फीसदी बढ़े

श्रीगंगानगर, (कासं)। होली का त्योहार नजदीक आते ही बाजार पूरी तरह सज गए हैं। बाजार में इस साल इलेक्ट्रिक पिचकारी और ऑर्गेनिक रंगों की सबसे ज्यादा डिमांड है। दुकानों पर गुलाल और पिचकारी के साथ होली के अन्य सामानों की खरीदारी के लिए भीड़ लगने लगी है। बच्चों के लिए मुखौटे, नकली दाढ़ी मूंछ की भी डिमांड है। शहर के गोल बाजार, सदर बाजार, पुरानी धानमंडी के नजदीक, पुरानी आबादी, अग्रसेन चौक आदि जगहों पर रंगों व पिचकारियों की होलसेल सहित करीब 100 से ज्यादा रिटेलर्स ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। कारोबारियों के अनुसार शहर में इस साल 5 करोड़ की बिक्री का अनुमान है। इस साल ऑर्गेनिक और हर्बल रंगों की डिमांड सबसे ज्यादा आ रही है है। लोग सामान्य तरह के रंग बहुत कम खरीद रहे हैं। इस बार बैट्री ऑपरेटेड पिचकारी, लाइट एंड म्यूजिक वाली पिचकारी सहित कई नए डिजाइन की पिचकारियां बाजार में उपलब्ध हैं। वहीं, रंगों में हर्बल रंग और गुलाल की डिमांड है।

किसानों, युवाओं को भेड़-बकरी पालन का प्रशिक्षण

- **यह पहल पशुपालन क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक होगी**

बीकानेर, (कासं)। राजुवास के कौशल विकास केंद्र में आयोजित तीन दिवसीय व्यावसायिक भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार को सम्पन्न हुआ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम सुमंगल जन कल्याण ट्रस्ट और डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रो. राहुल सिंह पाल, अधिष्ठाता डेयरी कॉलेज, ने कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर किसान भाई पशुपालन व्यवसाय से अधिक लाभ कमा सकते है। इस प्रशिक्षण में पशुपालन से जुड़े किसानों, युवाओं और उद्यमियों को वैज्ञानिक पद्धति से भेड़-बकरी पालन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीकों, पोषण प्रबंधन, टीकाकरण, आवास व्यवस्था, विपणन रणनीति और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी, जिससे पशुपालक अपने व्यवसाय को अधिक लाभदायक बना सकें। मुख्य अतिथि अपर जिला न्यायधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मांडवी राजवी ने अपने संबोधन में कहा कि भेड़-बकरी पालन ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए एक स्वावलम्बी व्यवसाय बन सकता है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर बकरी पालन से आमदनी को दोगुना करने की बात कही।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि ललित प्रकाश मोदी, क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने पशुपालकों को वित्तीय सहायता योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि बैंक इस क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सुमंगल जन कल्याण ट्रस्ट के प्रतिनिधि गजेन्द्र सिंह ने बताया की ट्रस्ट पशुपालकों, किसानों और उद्यमियों के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जहां विषय विशेषज्ञ, बैंक और सरकारी विभाग मिलकर कार्य करेंगे। इस मंच के माध्यम से पशुपालकों को तकनीकी मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और बाजार से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। यह पहल पशुपालन क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक होगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 6 जिलों (सीकर, चूरू, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर) से 30 प्रतिभागी शामिल हुए जिन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए।

हत्या के मामले में 5 साल की सजा

अनूपगढ़, (कासं)। न्यायालय ने एक 6 साल पुराने हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। एडीजे विपिन बिश्नोई की अदालत ने आरोपी कुलदीप सिंह को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला 14 अक्टूबर 2018 का है। लेख राम अपने साथी माडूराम के साथ गांव गिलांवाली जा रहे थे। इसी दौरान कुलदीप सिंह ने लेख राम पर गालियां देने का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। माडूराम ने बीच-बचाव की कोशिश की। जब वह सफल नहीं हुआ तो मदद के लिए गांव गया। इस बीच कुलदीप सिंह ने लेख राम को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बेहोश लेख राम को श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 17 अक्टूबर को एएसआई लखवीर सिंह ने लेखराम का बयान दर्ज किया। कुछ दिन बाद इलाज के दौरान लेख राम की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले को आईपीसी की धारा 302 में दर्ज किया। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए।

न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)

(A Government of India Enterprise)

रावतभाटा राजस्थान साइट

Rawatbhata Rajasthan Site

In the High Court of Judicature for Rajasthan Bench at Jaipur

S.B/D.B. Civil writ petition/appeal/amendment application No.../2025

Application under Rule 159 of Rajasthan High Court Rules for entering in to CAVEAT

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS:

Your Lordship's humble applicant wants to enter into caveat under Rule 159 of the Rajasthan High Court Rules and leta nothing be done till the applicants are heard in the matter.

The particulars of the writ which is likely to be filed are given below-

1. The S.B./D.B. Civil writ pertition/appeal/amendment application may be filed by the following persons: Any person who is concerned about appointment on any posts as per advertisement No. RR Site/HRM/04/2024.
2. That the S.B./D.B. Civil writ pertition/appeal/amendment application is likely to be filed against:-
   01. Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL), Mumbai.
   02. Chairman & Managing Director (CMD), (NPCIL), Mumbai.
   03. Director (HR), NPCIL, Mumbai.
   04. Site Director, NPCIL, Rawatbhata Rajasthan Site.
   05. Head (HR), NPCIL, Rawatbhata Rajasthan Site.
   06. Senior Manager (HR), NPCIL, Rawatbhata Rajasthan Site.
3. That the S.B./D.B. Civil writ petition/appeal/amendment application cn be filed in regard of advertisement number RR Site/HRM/04/2024 issued by Nuclear Power Corporation of India Limited, Rawatbhata Rajasthan Site, PO Anushakti Via Kota for various posts.
4. That Vakalatnama duly signed by Senior Manager (HRM) on behalf of Nuclear Power Corporation of India Ltd., Rawatbhata Rajasthan Site, PO Anushakti Via Kota is submitted herewith.

It is, Therefore, humbly prayed that nothing be done in the cases till the applicants are heard.

Date: 13.03.2025 **HUBLE PETITIONE**
Jaipur **Through his Counsels**
(Dharmendra Jain), Advocate
R/447/2002
Mobile- 9829041988

CBC 48157/12/0003/2425

ट्रेन के समय में परिवर्तन

बीकानेर, (कासं)। रेलवे द्वारा सीकर के रास्ते चलने वाली बीकानेर-साईनगर शिरडी वीकली स्पेशल ट्रेन के रूट में बीकानेर से जयपुर के बीच आने वाले स्टेशन पर ट्रेन के संचालन में परिवर्तन किया जा रहा है। इस संबंध में रेलवे सूचना जारी की है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशिकिरण के अनुसार गाड़ी संख्या 04715,बीकानेर-साईनगर शिरडी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 22 मार्च से बीकानेर से प्रत्येक शनिवार को दोपहर 12.10 बजे के बजाय 1.30 बजे रवाना होकर शनिवार शाम 6 बजे सीकर स्टेशन पहुंचेगी। यहां 5 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन 6:05 बजे सीकर स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन रविवार शाम 7 बजे साईनगर शिर्डी पहुंचेगी।

देर रात तक चंग पर धमाल

सूरतगढ़, (कासं)। होली से पूर्व रात्रि के समय पुराना बाजार, राष्ट्रीय उत्थान रामलीला क्लब के मंच और प्राचीन ढाब क्षेत्र सहित कुछ स्थानों पर चंग की धमाल सुनाई देने लगी है। होली पर्व जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है होली के रासियों पर फागुनी गीतों का रंग चढ़ता जा रहा है।

शहर में पुराना बाजार में चल रहे होली चंगधमाल कार्यक्रम के दौरान रात्रि को पुराने रिति रिवाज के अनुसार चौकी की तनी बीच चौराहे पर बांधने की रस्म निभाई गई। इसके बाद होली की धमालो पर रसियो ने नृत्य कर खूब आन्नद उठाया। प्राचीन परंपरानुसार अब भी होली की धमाल, मस्ती और नृत्य का संगम यहां पुराना बाजार में देर रात तक देखा जा सकता है।बीती रात्रि चंग धमाल कार्यक्रम में गायक मनोज जैन, शुभकरण जैन, और संयोजक रामकुमार व्यास, सुभाष चौहान, रमेश सुथार, सागर, कालू पेडीवाल, सुमेर जैन, अनिल भार्गव, विपिन शर्मा सहित दूर दराज से आये कलाकारों ने होली की चंग धमाल की प्रस्तुतियां दी।

25 प्रगतिशील किसान सम्मानित

श्रीगंगानगर, (कासं)। कृषि तकनीकी संदर्भ ज्ञान केन्द्र (आत्मा), श्रीगंगानगर के सभागार में कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के लगभग 20 वैज्ञानिक व अधिकारीगण तथा कर्मचारी तथा 80 कृषकों ने भाग लिया।

कृषक पुरस्कार समारोह में वर्ष 2024-25 के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय चयनित कृषकों को प्रमाण-पत्र देकर पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने जैविक, नवाचार, उद्यानिकी, कृषि एवं पशुपालन अपनाकर उत्कृष्ट कार्य किया। कृषक पुरस्कार समारोह में वर्ष 2024-25 के 25 कृषकों को स्मृति चिन्ह, मेडल व प्रमाण-पत्र देकर पुरस्कृत किया गया।

कृषक हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों एवं अधिकारियों को सम्मानित किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद डॉ. सतीश कुमार शर्मा ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्रेशन कैम्प में बढ़-चढ़कर किसान भाग लेवें व अपनी फार्मर आईडी तैयार करवायें तथा ज्यादा से ज्यादा किसान फसल बीमा करवायें ताकि प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। कृषि विभाग की विभिन्न देय सुविधायें जैसे डिग्गी, तारबंदी, फार्म पौण्ड, कृषि यंत्र, पाईप लाईन इत्यादि में अधिक से अधिक आवेदन करें ताकि कृषक इसे अपनाकर अपनी आय बढ़ा सके।

उप परियोजना निदेशक (आत्मा) सुदेश कुमार द्वारा कृषि विभाग की विभिन्न कृषक हित के लाभकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कृषकों का अभिवादन करते हुए आत्मा योजना के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का संदेश दिया तथा कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार व आधुनिक खेती के बारे में जानकारी दी। कृषकों से इसे अपनाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने व आय बढ़ाने की सलाह दी।

सफाई व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई

श्रीगंगानगर, (कासं)। शहर में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए कलेक्टर ने आरएएस अधिकारियों की वार्ड वाइज 8 आरएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है।

यह अधिकारी दिए गए वार्डों में सफाई व्यवस्था के साथ-साथ स्ट्रीट लाइट व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे तथा जहां भी खामी मिलेगी तुरंत दुरुस्त करवाएंगे। शहरवासियों से मिली शिकायतों को प्रमुखता से लेंगे तथा संबंधित सफाई निरीक्षक को तुरंत निराकरण के निर्देश देंगे। आठ आरएएस अधिकारियों के सहयोग के लिए नगर परिषद के कार्मिकों को लगाया गया है।

बता दें कि पूर्व में भी जिला परिषद की ओर से सफाई के लिए आरएएस अधिकारी लगाए गए थे। लेकिन महज दो-चार दिन ही अभियान चला, अफसरों ने वार्डों में जाकर देखा तक नहीं। दूसरा केंद्र से स्वच्छता सर्वेक्षण टीम के आने से पहले यह योजना बनती, तो शहर की रैंकिंग में भी सुधार संभव था।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : - नियमन/2025/3722 दिनांक : 12.03.2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में चक 6 जैड ए मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 08 में माप 627 वर्गगज का पट्टा संख्या 1008 दिनांक 17.03.2001 को श्री गुरनाम सिंह पुत्र श्री चंचल सिंह के नाम से जारी किया हुआ है। उक्त भूमि में से श्रीमती सरोज बाला पत्नी श्री सुखविन्द्र सिंह द्वारा माप 30 इन्टू 54, श्रीमती जसविन्द्र कौर पत्नी श्री बजिन्द्र सिंह द्वारा माप 30 इन्टू 54 फीट, श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री विजय राम द्वारा माप 174.75 वर्गगज जरिये पंजीकृत बैयनामा क्रय कर न्यास द्वारा पूर्व में जारी पट्टे एवं पंजीकृत बैयनामों का समर्पण कर भूखण्ड की लीज हस्तान्तरित करवाते हुए फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। **- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर**